



U.P. RAJKIYA NIRMAN NIGAM LTD.

(U.P. Govt. Undertaking)

(An ISO 9001-2000 Certified Company)

Visheswaraiya Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226016

WEBSITE: <http://www.uprnn.co.in>

Fax: 0522-2720846

Tender Notice No.-84/K.G.M.U./RNN/U-4Lko./2017

Date 04/05/2017

अल्प कालीन निविदा सूचना

उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० लखनऊ की निविदा प्रणाली के अन्तर्गत किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के खदरा में स्थित ट्रांजिट हास्टल ब्लॉक के बेसमेन्ट के खनन एवं उससे प्राप्त मिट्टी का निस्तारण किया जाना है। अतः इच्छुक फर्म/ठेकेदार से दिनांक 08.05.2017 को एकल लिफाफा पद्धति पर निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्रस्तुत करने का स्थान	कुल बेसमेन्ट की खुदाई की मात्रा	जिलाधिकारी से प्राप्त अनुमति अनुसार खुदाई की मात्रा	जिलाधिकारी द्वारा खनन किये जाने की निर्धारित अवधि।	प्रोसेसिंग शुल्क	कार्य अवधि	निविदा जमा करने की तिथि/ समय।	निविदा खोलने की तिथि/ समय।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	के०जी०एम०यू० लखनऊ परिसर खदरा में ट्रांजिट हास्टल ब्लॉक के निर्माण हेतु बेसमेन्ट के खनन एवं उससे प्राप्त मिट्टी के निस्तारण का कार्य।	कार्यालय अपर परियोजना प्रबन्धक उ०प्र० रा०नि०लि० इकाई-4 के०जी०एम०यू० मानसिक विभाग के पीछे लखनऊ।	11148.00 घनमीटर	11148.00 घनमीटर	15.04.2017 से 14.07.2017 तक	रु० 5000.00 (Non Refundable)	30 दिन।	दिनांक 15.05.2017 को अपरान्ह 01 बजे से 03 बजे तक।	दिनांक 15.05.2017 को सायं 04 बजे।

नियम व शर्तें :-

- मिट्टी खनन हेतु जिलाधिकारी कार्यालय में जमा धनराशि नियमानुसार चयनित फर्म/ठेकेदार द्वारा बैंक ड्राफ्ट के रूप में उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० के पक्ष में देय होगी।
- उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० के पक्ष में रु० 1.00 लाख (एक लाख) (Refundable) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जायेगा। इसके अतिरिक्त रु० 5000/- (Non-refundable) का बैंक ड्राफ्ट प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० के पक्ष में संलग्न करना होगा।
- चयनित फर्म/ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर ले-आउट के अनुसार बेसमेन्ट की खुदाई निकटतम पेन्टेड रोड लेवेल से 4.70 मीटर तक ही खुदाई स्वयं के व्यय पर करते हुए मिट्टी का खनन किया जायेगा।
- टेण्डरिंग में जिसकी दरें अधिकतम होंगी उसे चयनित किए जाने के 07 दिन के अन्दर मिट्टी की वास्तविक/मूल्यांकित/सत्यापित मात्रा का ऑकलन करते हुए आगणित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट इकाई के लेखा कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा धरोहर की धनराशि रु० 1.00 लाख जब्त कर ली जायेगी।
- उच्चतम दर वाली फर्म/ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर खनन हेतु चयनित किए जाने के 15 दिन के अन्दर मिट्टी को नियमानुसार अन्यत्र स्थानान्तरित कर कार्यस्थल रिक्त करना होगा अन्यथा 15 दिन के बाद प्रतिदिन के हिसाब से नियमानुसार पेनाल्टी लगा दी जायेगी जिसका भुगतान फर्म/ठेकेदार द्वारा उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० को करना होगा।

कुल अपर परियोजना प्रबन्धक